# न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 19/2023/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 10.01.2023
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

आनन्दी लाल पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बड़ोद तहसील दीगोद, जिला कोटा

.....अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र मूलचन्द जाति बैरवा निवासी बड़ोद, तहसील दीगोद, जिला कोटा
2. मांगी बाई पुत्री मूलचन्द पत्नि उमाशंकर जाति बैरवा, ग्राम डूंगरली, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये पेरोकार सरकार

..... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री दयाराम सेन, अभिभाषक –अपीलांट
श्री हेमन्त कृष्ण विजयवर्गीय, अभिभाषक– रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2

::निर्णय::

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटा (प्रथम अपीलीय न्यायालय) के प्रकरण संख्या 43/2012 बउनवान आनन्दी लाल बनाम रामस्वरूप वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 29.07.2022 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलांट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नायब तहसील सुल्तानपुर के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 135(2) मृतक मूलचंद पुत्र मथूरा लाल जाति बैरवा निवासी बड़ौद तहसील दीगोद में पारित आदेश दिनांक 20.01.2022 के विरूद्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवंटन सीधे दिनांक 18.08.1963 मूल्या (मूला) को होना वर्णित करते हुए उक्त आराजी को स्वअर्जित होना मानते हुए अपीलांट के उक्त आराजी के वसीयत में वर्णित भूमि पैतृक होने संबंधी तथ्यों को साबित करने में असफल रहने से उक्त आशय की अपील निर्णय दिनांक 29.07.2022 से खारिज की गई।

28/8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.07.2022 से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय में अपील पेश कर कथन किया गया कि निर्णय जैर अपील कानून एवं न्याय के सिद्धान्तो के सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। परीक्षण न्यायालय ने नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को सूचना नहीं दी गई और ना ही हक विरासत की जाच की गई, ना ही कब्जे के संबंध मे जांच की गई है, इस आधार पर निर्णय जेर अपील काबिल निरस्तनीय है। परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पो. द्वारा प्रस्तुत तथाकथित वसीयत को मानकर नामान्तरकरण तस्दीक किया गया जिसके विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की गई, जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही आदेश जेर अपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। विवादित आराजी पेतृक सम्पत्ति है जिसको अपीलान्ट द्वारा पूर्ण प्रमाणित किया है जिस तथ्य को नजर अन्दाज करके निर्णय जेर अपील प्रदान किया गया है। वसीयत मे वर्णित आराजी पेतृक सम्पत्ति जो कि मूल्या के पिता मथुरा पुत्र औकार को आवंटित की गई थी। उक्त आराजी मथुरा पुत्र औकर के मरने के उपरान्त मूल्या को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी औकार के मरने के बाद स्वतः ही पेतृक सम्पत्ति हो जाती है। मूल्या द्वारा जो तथाकथित वसीयत की गई वह किसी प्रकार से मान्य नही है, क्योकि मथुरा को उक्त वसीयत करने का अधिकार नहीं था। तथाकथित वसीयत के बाबत न तो किसी सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करके प्रोबेट प्राप्त किया गया है और ना ही किसी सक्षम न्यायालय मे प्रमाणित करवाया गया है, ना ही वसीयत के गवाह का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिया गया है। उक्त वसीयत की प्रमाणिक्ता नहीं होते हुये भी उक्त तथाकथित वसीयत के आधार पर जो नामान्तकरण परीक्षण न्यायालय ने तस्दीक किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने बहाल रखने मे त्रुटि की है। उक्त आराजी पेतृक सम्पत्ति होने से अपीलान्ट का हक व हिस्सा निहित है, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करने में त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने तथा विवादित आराजी का पेतृक आराजी होने से अपीलांट का नाम भी उक्त आराजी मे दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

28/8/2025
अति. आयुक्त
कोटा

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मीमो में उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि वसीयत मे वर्णित आराजी पेतृक सम्पत्ति जो कि मूल्या के पिता मथुरा पुत्र औकार को दिनांक 18.08.1963 को आवंटित की गई थी। उक्त आराजी मथुरा पुत्र औकर के मरने के उपरान्त मूल्या को प्राप्त हुई है। इस प्रकार उक्त आराजी औकार के मरने के बाद स्वतः ही पेतृक सम्पत्ति हो जाती है। मूल्या द्वारा जो तथाकथित वसीयत की गई वह किसी प्रकार से मान्य नही है, क्योकि मथुरा को उक्त वसीयत करने का अधिकार नहीं था। तथाकथित वसीयत के बाबत न तो किसी सक्षम न्यायालय मे कार्यवाही करके प्रोबेट प्राप्त किया गया है और ना ही किसी सक्षम न्यायालय मे प्रमाणित करवाया गया है, ना ही वसीयत के गवाह का शपथ पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे दिया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत वसीयत त्रुटिपूर्ण थी। विवादित आराजी जो पैतृक संपत्ति है, उसमें अपीलां का 1/3 हिस्सा निहित है तथा अपने हिस्से से अधिक की वसीयत नहीं की जा सकती है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त फरमाये जावे तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक संपत्ति होने से तदनुसार अपीलांट का नाम भी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी मूलचंद की स्वअर्जित आराजी है तथा उक्त आराजी मूलचंद को ही आवंटित की गई है। वादग्रस्त आराजी स्वअर्जित होने से उसे वसीयत करने का अधिकार प्राप्त था। मूल्या को दिनांक 19.03.1963 को आवंटित हुई, इस संबंध में रेस्पो0 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट ने न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के यहां मूलचंद के विरूद्ध दावा पेश किया गया था, जिसमें न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद ने दिनांक 04.05.2012 को निर्णय पारित करते हुए तनकी नं0 1 तय किया कि उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 मूलचंद को अलॉटशुदा एवं खरीदशुदा है। उक्त आराजी पर अपीलांट का कोई हिस्सा निहित नहीं हैं। न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद के उक्त निर्णय दिनांक 04.05.2012 के विरूद्ध कोई अपील नहीं होने से उक्त निर्णय अंतिम आदेश की श्रेणी में आता हैं। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जावे।

8/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

6. हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का मुख्य बिन्दु भूमि को पैतृक होने से संबंधित हैं। अपीलांट द्वारा भूमि पैतृक होने से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। जबकि रेस्पो0 द्वारा मिलान क्षेत्रफल, आवंटन पत्र एवं रसीद इत्यादि पेश की है, जिससे प्रकट होता है कि विवादित आराजी पक्षकारान के पिता की स्वअर्जित सम्पत्ति है। जिसे वसीयत करने का अधिकार होने से हस्तगत प्रकरण में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश प्रकट नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7. निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर जारी किया गया।

28/8/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा